राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1492/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–III, वृत–II, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बचनी रोड़ लाईन,
दिल्ली हाल, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 05.10.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 84 के तहत अपील संख्या 188/आरएसटी/एनआरडी/1999–00 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.04.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–III, वृत–II, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 17.04.1999 को वाहन संख्या डी.एल.–1 जी/बी–3190 को चैक किया गया। वाहन कम्पनी ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी के चालान संख्या 197, 198 एवं 199 दिनांक 16.04.1999 पेश किये जिनके अनुसार 70 बिल्टियों का माल परिवहनित किया जा रहा था, जिनकी जांच करने पर पाया कि बिल बोगस है तथा माल के गलत कागतात तैयार कर माल राज्य में आयात किया जा रहा है। माल के सत्यापन हेतु माल कर भवन प्रांगण में लाया गया। दिल्ली के बिलों माल विक्रेता फर्मों के नम्बरों का सत्यापन करवाया तो 70 में 7 बिल्टियां ही सही पाई गई। ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ओर से नोटिस का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि फर्जी पाये गये बिलों का माल दिल्ली से ही लोड किया गया। व्यवहारी पर आयातित माल कीमतन रूपये 1,29,940/– पर धारा 78(5) के तहत कर रुपये 10,952/– शास्ति रूपये 1,248/– आरोपित की गई। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी/वाहन चालक की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए धारा 78(5) के

लगातार.....2

तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत होने के आधार पर जो शास्ति आरोपित की गयी है, वह उचित थी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में स्पष्ट होता है कि राज्य के बाहर से (दिल्ली) राज्य के बाहर (पूना महाराष्ट्र) जा रहा था। सक्षम अधिकारी का यह कथन है कि माल को राज्य में उतारा जायेगा जो कि तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता है। माल राज्य में अनलोड होते हुये भी चैक नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 10 एस.टी.टी. 219 मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी** में माल के राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित किये जाने के आधार पर शास्ति के आरोपण को अनुचित माना गया है। ऐसी स्थिति में राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिना कोई युक्तियुक्त जांच के, व्यवहारी के जवाब को अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है एवं अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य